FORM NO-III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम–रुपनगढ, जिला–अजमेर

लाली बनाम कानाराम

किस्म मुकदमा–251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम नम्बर–25 वर्ष:–2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10.9.2024	यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण की ओर से वकील श्री विमल किशोर तिवाड़ी ने अन्तर्गत धारा–251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया गया । प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये नोटिस की जाकर पत्रावली दिनांक 9.10.2024 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)	
9-10-24	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप. अप्रार्थी सं. 1 से 10 के P.O. साहब ~~दौरे~~/अवकाश पर पधारे है। नोटिस तामीलशुदा अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक प्राप्त। अप्रार्थी सं. 1 से 7-11-24 को पेश हो। 8 की ओर से वकील श्री सुण्डाराम जाट ने वका० पेश किया/ अप्रार्थी सं. 4 की ओर से प्रारम्भिक आपत्तियां पेश की। [initial]	
7-11-24	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष के वकील उप०। अप्रार्थी सं. 10 की ओर से वकील श्री अरविन्द दाधीच ने वकालतनामा पेश किया। प्रारम्भिक आपत्तियों के जवाब हेतु पत्रावली दिनांक 28-11-24 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)	
27-11-24	वकील प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना-पत्र वास्ते उक्त प्रकरण की पत्रावली आगामी पेशी दिनांक 28-11-24 से आज तलब कर नया प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत [illegible] की अनुमति प्रदान [illegible] विड्रो किये जाने की अनुमति प्रदान करने बाबत पेश करने पर पत्रावली तलब की गई। प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अनुसार उक्त प्रकरण में नन्दलाल (प्रार्थी) की मृत्यु हो जाने व प्रार्थी मथुरादेवी व कन्हुदेवी	

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahima Kasana
Date: 2024.12.02 12:28:29 IST
Reason: SelfAttested

मु.नं. 25/24 लाली/कानाराम

के द्वारा प्रकरण में सहयोग नहीं करने के कारण उक्त प्रकरण को विड्रो करने तथा नया प्रकरण पेश करने की अनुमति प्रदान करनेहेतु प्रार्थना-पत्र पेश की

हमने प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र का अवलोकन किया एवं वकील प्रार्थी को सुना/तदनुसार उक्त प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण को विड्रो करने एवं नया प्रकरण पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahima Kasana
Date: 2024.12.02 12:28:29 IST
Reason: SelfAttested